आम बजट 2017-18: ई-बुक

प्रस्तावना 4

आम बजट **2017-18:** अवलोकन 5

आम बजट 2017-18: मुख्य तथ्य..6

आम बजट **2017-18:** डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए किये गये उपाय ..7

आम बजट **2017-18:** आम जनता को क्या मिला 8

आम बजट 2017-18: शिक्षा एवं मानव संसाधन.................................9

आम बजट 2017-18: रेल बजट की ख़ास बातें.................................10

आम बजट 2017-18: कर (टैक्स) प्रावधान......................................12

आम बजट 2017-18: ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल 'स्वयं' की घोषणा ..13

आम बजट 2017-18: खेल मंत्रालय को 350 करोड़ रुपये मिले..........14

बजट 2017-18: क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा.....................15

आम बजट **2017-18:** आयकर रिटर्न समय पर न भरने पर जुर्माने का प्रावधान 17

आम बजट **2017-18:** जन साधारण के लिए हितकर बजट 18

रियल एस्टेट सेक्टर के प्रोत्साहन हेतु आम बजट 2017-18 में घोषणाएँ 21

आम बजट 2017-18: स्वास्थ्य एवं लोक कल्याण 22

वित्त मंत्री ने आम बजट 2017-18 में राजनीतिक पार्टियों के नगद चंदा पर रोक 25

आम बजट 2017-18: कृषि क्षेत्र 26

आम बजट 2017-18: प्रधानमंत्री ने बजट को प्रत्येक वर्ग हेतु उपयोगी बताया........27

आम बजट 2017-18: भारतीय रेल........29

आम बजट 2017-18: एक पंक्ति में........29

आम बजट 2017-18: प्रश्नावली (क्विज) 32

प्रस्तावना

jagranjosh.com आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री **‘आम बजट 2017-18: ई-बुक’** उपलब्ध करा रहा है.

‘आम बजट 2017-18: ई-बुक’ (eBook) परीक्षा विशेषज्ञों द्वारा तैयार अद्यतन अध्ययन सामग्री है. इसमें बजट से सम्बंधित विभिन्न विषयों का संकलन है.

‘आम बजट 2017-18: ई-बुक’ (eBook) विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे- सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टीयर 1 एवं टीयर 2, एसएससी संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा, एसबीआई सहायक बैंक पीओ परीक्षा, आईबीपीएस पीओ परीक्षा, सीटीईटी परीक्षा, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित भारतीय आर्थिक/सांख्यिकी सेवा परीक्षा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, भू-वैज्ञानी परीक्षा आदि हेतु अत्यंत उपयोगी अध्ययन सामग्री है.

आम बजट 2017-18: अवलोकन

केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2017 को वित्तवर्ष 2017-18 का बजट संसद में पेश किया. वर्ष 2017-18 के बजट में कुल व्यय 21.47 लाख करोड़ रुपये तय किया गया और इससे विकास की रफ्तार तेज होने की आशा व्यक्त की जा रही है.

सभी राज्यों और विधानसभा वाले केन्द्रशासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 4.11 लाख करोड़ रुपये अंतरित किए जाने है, जबकि वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में यह राशि 3.60 लाख करोड़ रुपये थी. पेंशन को छोड़ रक्षा व्यजय 2,74,114 करोड़ रुपये का है.

पहली बार आम बजट के साथ एक समेकित आउटकम बजट भी पेश किया गया, जिसमें सभी मंत्रालयों एवं विभागों को शामिल किया गया.

केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इस अवसर पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अगले वर्ष के लिए राजस्वय घाटा 1.9 प्रतिशत तय किया गया है, जबकि एफआरबीएम अधिनियम में यह 2 प्रतिशत है. इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक वृद्धि के इंजन के रूप में देखा जाता है, और उम्मीद है कि वर्ष 2017 में भारत, दुनिया की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा.

विमुद्रीकरण को जनता के हित में किए गए कार्य की संज्ञा देते हुए वित्तमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात को दोहराते हुए कहा कि "सही दिशा में किया गया कार्य कभी भी असफल नहीं होता"

इस अवसर पर केन्द्रीय वित्तमंत्री ने कहा कि हमारा एजेंडा प्रशासन की गुणवत्ता, समाज के विभिन्न तबकों में शक्ति का संचार कर उन्हें समर्थ बनाना और देश को भ्रष्टाचार, काला धन एवं अपारदर्शी राजनीतिक वित्तपोषण की बुराइयों को समाप्त करना है. इसके साथ ही साथ वित्तमंत्री ने कहा कि हमारा ध्यान मौद्रिक पहलुओं को संयमित रखकर ग्रामीण क्षेत्र का विकास, बुनियादी अवसंरचना को बढ़ावा देने एवं गरीबी उन्मूलन के लिए अधिक से अधिक धन खर्च करने पर है. वर्ष 2019 अर्थात् महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक सरकार एक करोड़ परिवारों को ग़रीबी से निजात दिलाने, 50000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने के लिए अंत्योदय मिशन पर काम करेगी.

आम बजट 2017-18: मुख्य तथ्य

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2017 को वर्ष 2017-18 का आम बजट (Union Budget) लोकसभा में पेश किया. भाजपा की नेतृत्व वाली वर्तमान 'एनडीए' सरकार का यह तीसरा आम बजट है.

आइये जानते हैं इस बजट में भारत की जनता एवं अर्थव्यवस्था के लिए क्या विशेष घोषणाएं की गयीं.

आम बजट 2017-18: मुख्य बिंदु

- कुल 21.47 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रावधान
- ग्रामीण और कृषि से जुड़े क्षेत्रों के लिए 1,87,223 करोड़ रुपए का प्रावधान
- माइक्रो सिचाई फंड के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान
- बेघरों के लिए साल 2019 तक एक करोड़ घर बनाने का लक्ष्य
- एक करोड़ से अधिक आय पर 15% सरचार्ज
- 50 लाख से एक करोड़ की आय पर 10% सरचार्ज
- किसान कर्ज पर ब्याज में कटौती की गयी.
- किसानों के लिए लोन के लिए 10 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किये गये.
- किसानों की आय 5 वर्ष में दोगुनी की जाएगी, किसानों का उत्पाद बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा.
- खेती 4.1% की दर से बढ़ने की उम्मीद.
- माइक्रो सिंचाई के लिए 5 हज़ार करोड़ रुपये निर्धारित
- मनरेगा के लिए 48 हज़ार करोड़ रूपए आवंटित किए जायेंगे.
- मनरेगा में 5 लाख तालाब बनाए जायेंगे.
- बेघर लोगों एवं कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों के लिए 2019 तक 1 करोड़ पक्के मकान बनाये जायेंगे.

- कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए नया कानून बनाया जायेगा.
- दीनदयाल ग्राम ज्योति कार्यक्रम के लिए 4818 करोड़ रुपये दिए जायेंगे.
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के लिए 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन.
- तीन लाख से अधिक का लेन-देन कैश में नहीं
- 3500 किमी नई रेलवे लाइनें बिछाई जाएंगी
- नई मेट्रो नीति लाई जाएगी, इससे निवेश और नए प्रोजेक्ट के निर्माण में आसानी होगी.
- हाईस्पीड इंटरनेट देने के लिए 1 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा.
- आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुकिंग पर सर्विस टैक्स समाप्त किया गया.

आम बजट 2017-18: डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए किये गये उपाय

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में डिजिटल इकॉनमी तथा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न घोषणाएं की. इन घोषणाओं से भ्रष्टाचार तथा कालेधन को समाप्त करने के लिए 3 लाख से अधिक के नगद लेन-देन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है.

भीम एप्प: डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए भीम ऐप का शुभारंभ किया गया था और इससे डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के लिए मोबाइल फोनों की शक्ति बढ़ेगी. भीम ऐप के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दो नई योजनाएं अर्थात् व्यक्तियों के लिए रेफरल बोनस स्कीम और व्यापारियों के लिए कैशबैक स्कीम शुरू करेगी.

आधार समर्थित भुगतान प्रणाली: जिन लोगों के पास डेबिट कार्ड, मोबाइल वैलेट और मोबाइल फोन नही है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उनके लिए आधार समर्थित भुगतान प्रणाली के व्यापारिक संस्करण के जल्द ही शुरू किए जाने की भी घोषणा की.

यूपीआई, यूएसएसडी, आधार भुगतान, आईएमपीएस और डेबिट कार्डों के जरिए 2017-18 के लिए 2500 करोड़ डिजिटल लेनदेन के लक्ष्य के साथ एक मिशन की स्थापना की जाएगी. बैंकों ने मार्च, 2017 के अंत तक 10 लाख नए पीओएस टर्मिनल शुरू करने का लक्ष्य रखा है.

राजस्व और पूंजी व्यय: वित्त मंत्री ने कटौती के रूप में राजस्व और पूंजी व्यय के लिए नगदी व्यय की सीमा 10 हज़ार रुपए तक करने का भी प्रस्ताव किया है. इसी प्रकार किसी धर्मार्थ न्यास द्वारा प्राप्त की जाने वाली नगद दान की राशि की सीमा को 10 हजार से घटाकर दो हजार रुपए कर दिया गया है.

वित्तीय समावेशन: वित्तीय समावेशन और जनधन, आधार, मोबाइल (जेएएम) त्रिसूत्र को बढ़ावा देने के सरकार के पहले के प्रयास वर्तमान में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण थे.

नगदी रहित लेनदेन: पेट्रोल पम्पों, उर्वरक डिपो, नगर पालिकाओं, ब्लॉक कार्यालयों, सड़क परिवहन कार्यालयों, विश्व विद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों और अन्य संस्थानों में डिजिटल भुगतान की सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे. निर्धारित सीमा से अधिक डिजिटल माध्यम से किए गए सरकारी लेनदेन की रसीद देना अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि इन पहलों के लिए संसाधनों को बढ़ाने के वास्ते सरकार वित्तीय समावेशन निधि को सुदृढ करेगी.

आम बजट 2017-18: आम जनता को क्या मिला

केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये आम बजट में 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा सही ही यह भी घोषणा की गयी कि 5 लाख रुपये तक की आय पर केवल पांच प्रतिशत टैक्स लगेगा.

बजट की इन घोषणाओं में आम जनता के लिए लाभ इस प्रकार रहे:

- 3 लाख तक की आय वाले लोगों के टैक्स की दर शून्य प्रतिशत.
- 3 लाख से 3.50 लाख तक की आय वाले लोगों पर 2500 रुपये टैक्स
- 5 लाख तक की आय पर कर की दर 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत

- 5 लाख तक की आय वालों के लिए 1 पेज का सरल फॉर्म होगा
- अप्रत्यक्ष कर और सर्विस टैक्स में कोई बदलाव नहीं
- राजनैतिक पार्टियां 2000 रुपये से ज्यादा का चंदा नकद नहीं ले पाएंगी.
- तीन लाख से अधिक का लेन-देन कैश में नहीं
- 3500 किमी नई रेलवे लाइनें बिछाई जाएंगी
- नई मेट्रो नीति लाई जाएगी, इससे निवेश और नए प्रोजेक्ट के निर्माण में आसानी होगी.
- हाईस्पीड इंटरनेट देने के लिए 1 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा.
- आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुकिंग पर सर्विस टैक्स समाप्त किया गया.
- पर्यटन और तीर्थ के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी
- पीपीपी मॉडल के तहत छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाएं जाएंगे

आम बजट 2017-18: शिक्षा एवं मानव संसाधन

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 01 फरवरी 2017 को लोकसभा में वर्ष 2017-18 का आम बजट (Union Budget) पेश किया. आम बजट 2017-18 में शिक्षा, कौशल एवं रोजगार सृजन से संबंधित निम्नलिखित घोषणाएं की गई.

मुख्य बिंदु

- महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से 500 करोड़ रुपये के खर्च का विशेष प्रावधान.
- महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से 500 करोड़ रुपये के खर्च का विशेष प्रावधान किया गया.
- सीबीएसई प्रवेश परिक्षा नहीं लेगी, प्रवेश परिक्षा के लिए अलग बॉडी बनेगी.

- सरकारी स्कूललों में शिक्षा क्वामलिटी की जांच की जाएगी, जिसके लिए योजना लाई जाएगी.
- उच्चर शिक्षा में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया जाएगा.
- गांवों में महिला शक्ति केंद्र स्था पना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- वार्षिक 3479 पिछड़े ब्लॉक में वार्षिक लर्निंग आउटकम के लिए कदम उठाये जायेंगे. इनमें आईसीटी सुविधाओं से लैस क्लासरूम तैयार की जाएगी.
- विज्ञान शिक्षा और लचीले पाठ्यक्रम पर जोर दिया जायेगा.
- 350 ऑनलाइन कोर्स के लिए स्वयं प्लेटफार्म तैयार किया जायेगा.
- यूजीसी में सुधार के लिए कदम उठाये जायेंगे.
- स्किल इंडिया द्वारा युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया जायेगा.
- मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा में 5000 शिक्षा बढाई जाएगी.
- प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्रों को बढ़ाया जायेगा.
- 2017-18 में संकल्प कार्यक्रम आरंभ किया जायेगा.
- वोकेशनल प्रोग्राम पर भी जोर दिया जायेगा.
- मुख्य डाकघरों को पासपोर्ट सेवा देने का फ्रंट कार्यालय बनाया जाएगा.
- सैनिकों के लिए रेलवे ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा.

आम बजट 2017-18: रेल बजट की ख़ास बातें

पिछले 93 वर्ष की परंपरा को बदलते हुए पहली बार रेल बजट को आम बजट के साथ संयुक्त रूप से पेश किया गया. वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा घोषणा की गयी कि आईआरसीटीसी (IRCTC) से टिकट

बुक करने पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा. इसके अतिरिक्त रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही गयी.

यात्रा सुविधा हेतु:

- IRCTC से बुकिंग करने पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा.
- रेलवे द्वारा 2020 तक ब्रॉडगेज लाइन पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग समाप्त कर दी जाएगी.
- पर्यटन और धार्मिक यात्राओं के लिए नयी ट्रेनों को चलाया जायेगा.
- वित्त वर्ष 2017-18 में 3500 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जायेगा.
- रेल सेफ्टी फंड के तहत पांच साल के लिए 1 लाख करोड़ आवंटित किये जायेंगे.
- इन निधि का प्रयोग करने के लिए सरकार द्वारा गाइडलाइन बनाई जाएगी.

सुविधाएं

- देश में 25 स्टेशनों का नए सिरे से विकास किया जायेगा. अगले वित्त वर्ष में 25 स्टेशनों को सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन का पुरस्कार भी प्रदान किया जायेगा.
- दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता हेतु 500 रेलवे स्टेशनों पर काम किया जायेगा. इन एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स लगाई जाएंगी.
- भारत के 7,000 रेलवे स्टेशनों पर सोलर पावर से चलाया जायेगा.
- एक नई मेट्रो रेल पॉलिसी का भी एलान किया जाएगा.
- युवओं को नई नौकरियों के मौके देने के लिए पीपीपी योजना के तहत काम किया जायेगा.
- वर्ष 2019 तक रेल के सभी डिब्बों में बायो टॉयलेट्स लगाये जायेंगे.
- ट्रेनों में एसएमएस के जरिए 'क्लीन माई कोच' का विस्तार करके 'कोच मित्र' सुविधा शुरू की जाएगी. यह कोच मित्र आपके डिब्बे से जुड़ी हर प्रकार की समस्या को हल करेंगे.
- रेलवे-सड़क ट्रांसपोर्टरों के साथ साझेदारी कर कुछ मदों में कस्टमर के पास से माल उठाकर दूसरे स्थान तक पहुंचाएगा.

आम बजट 2017-18: कर (टैक्स) प्रावधान

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2017 को वर्ष 2017-18 का आम बजट (Union Budget) लोकसभा में पेश किया. भाजपा की नेतृत्व वाली वर्तमान 'एनडीए' सरकार का यह तीसरा आम बजट है.

वित्त मंत्री द्वारा घोषित किये गये टैक्स से सम्बंधित घोषणाएं निम्नलिखित हैं:

- सरकारी घाटा 3.2% से कम कर 3.0% करने का लक्ष्य है
- वित्तीय घाटा जीडीपी 3.2 रखने का लक्ष्य
- देश में 1.72 करोड़ लोग आयकर भरते हैं.
- 24 लाख लोग 10 लाख से ऊपर आय घोषित करते हैं.
- नोटबंदी के फैसले 99 लाख लोगों ने 2.5 लाख से कम आय बताई और 76 लाख लोगों ने 5 लाख से ऊपर आय बताई.
- निजी आयकर में 34.8% की वृद्धि
- सस्ते घर को कारपेट एरिया के अनुसार मापा जायेगा.
- घरों के लिए कैपिटल गेन टैक्स घटाया गया, कैपिटल गेन टैक्स की सीमा 3 साल से 2 साल की गई

- कारपेट एरिया ज्यादा होगा, सस्ते घरों की स्कीम जारी रहेगी
- बिल्ट अप एरिया को कारपेट एरिया माना जाएगा• कैपिटल गेन टैक्स की अवधि अब दो वर्ष की गयी.
- 50 करोड़ टर्नओवर वाली कपनियों का 5 प्रतिशत टैक्स कम किया जायेगा.
- छोटी कम्पनियों का टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया गया.

- मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए टैक्स में छूट दी गयी.
- तीन लाख से अधिक कैश ट्रांज़ेकशन पर रोक लगाई जाएगी.
- 3 लाख से ऊपर के लेनदेन के लिए डिजिटल व्यवस्था को फॉलो करना होगा
- 2.5 लाख से 5 लाख वार्षिक आय पर 10 प्रतिशत की बजाये 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा
- 3-3.5 लाख पर 5000 रुपये टैक्स लगेगा
- तीन लाख रूपए की वार्षिक आय पर टैक्स नही
- मिडिल क्लास को टैक्स में राहत
- अर्थव्यवस्था से काला धन निकालना सरकार की प्राथमिकता
- प्रत्यक्ष कर वसूली देश की अर्थव्यवस्था के अनुपात में नहीं
- सिर्फ़ 76 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने 10 लाख से अधिक कमाई दिखाई जबकि विदेश घूमने जाने वालों की संख्या 2 करोड़ थी.
- राजनीतिक पार्टियां सिर्फ 2 हजार रुपये तक ही कैश में चंदा ले सकेंगी
- 2000 रुपये से ज्यादा का चंदा चेक या डिजिटल तरीके से ही लिया जा सकेगा.
- अब तक 20 हजार रुपये के कैश चंदे पर राजनीतिक पार्टियों को हिसाब नहीं देना होता था. राजनीतिक चंदे के लिए बॉन्ड आएगा, बॉन्ड पार्टी के खाते में जाएगा.

आम बजट 2017-18: ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल 'स्वयं' की घोषणा

संसद में 01 फरवरी 2017 को पेश किये गये आम बजट 2017 की मुख्य घोषणाओं में भारत सरकार द्वारा शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल "स्वयं" भी लॉन्च किये जाने की घोषणा की गयी.

"स्वयं" भारत सरकार द्वारा आरम्भ किया गया कार्यक्रम है जिसे शिक्षा नीति के तीन अधारभूत सिद्धान्तों अर्थात - पहुँच, निष्पक्षता तथा गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

यह एक स्वदेशी विकसित आईटी मंच के माध्यम से विकसित किया जायेगा जो नौवीं कक्षा से लेकर स्नाताकोत्तर कक्षा तक शिक्षण कक्षा में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों हेतु सुविधा उपलब्ध कराएगा.

स्वयं पोर्टल के मुख्य बिंदु

- स्वयं मंच (प्लेटफार्म) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा स्वदेश में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से निर्मित किया गया है.
- सभी पाठ्यक्रम परस्पर संबंधात्मक तथा देश के श्रेष्ठ शिक्षकों दयारा तैयार किए गए होंगे.
- सभी पाठ्यक्रम सभी भारतीय नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध होंगे.
- देशभर से बिशेष रूप से चुने गए लगभग 1000 शिक्षक इन पाठ्यक्रमों को बनाएंगे.
- प्रमाणपत्रता प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी पंजीकृत किए जाएंगे तथा इन्हें न्यूनतम शुल्क के साथ सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् प्रमाणपत्र दिया जाएगा.
- प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंत में प्रोकोर्ट्ड पारीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा इस परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों /ग्रेडों को विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकॉर्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विश्वविद्यालयों को ऐसे पाठ्यक्रमों को विनिर्दिष्ट करने के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क विनियम, 2016 जारी कर चुका है.

आम बजट 2017-18: खेल मंत्रालय को 350 करोड़ रुपये मिले

वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 1 फरवरी 2017 को संसद में पेश किये गये आम बजट में खेल मंत्रालय को अतिरिक्त 350 करोड़ रुपये आवंटित किये गये.

वित्त मंत्री द्वारा खेल मंत्रालय को कुल 1943 करोड़ रुपये आवंटित किये गये जबकि पिछले वर्ष यह राशि 1592 करोड़ रुपये थी. इस समय भारतीय खिलाड़ी वर्ष 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए तैयारी कर रहे हैं.

मुख्य बिंदु:

- भारतीय खेल प्राधिकरण को 481 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं जबकि पिछले साल यह राशि 416 करोड़ रुपये थी.
- दिव्यांगों में खेलों को बढ़ावा देने के लिये आवंटन घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है जबकि पिछले साल यह 4 करोड रुपये था.
- राष्ट्रीय खेल महासंघों को दी जाने वाली सहायता 185 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 302 करोड़ रुपये कर दी गई है.
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये योजना में आवंटन पिछले वर्ष के 131.33 करोड़ रुपये की तुलना में 148.4 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
- जम्मू कश्मीर में खेलों के लिए आवंटन राशि 75 करोड़ रुपये रखी गयी है.
- राष्ट्रीय सेवा योजना को 144 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं.
- राष्ट्रीय खेल विकास कोष का आवंटन पांच करोड़ रुपये से घटाकर दो करोड़ रुपये कर दिया गया है.
- देश में खेल प्रतिभाओं को निखारने हेतु 50 लाख रुपये दिये गए हैं.

खेलो इंडिया योजना के लिये कुल आवंटन 140 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

बजट 2017-18: क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा संसद में पेश किये गये बजट में लोगों को राहत देने की कोशिश की गयीहर बार की तरह इस बार भी बजट के बाद . कुछ चीजें महंगी हुई और कुछ चीजें सस्ती होंगी . आइये जानें आपकी रोजमर्रा के जीवन पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा.

यह होगा सस्ता

• पवन चक्की, आरओ, पीओएस, पार्सल, लेदर का सामान, सोलर पैनल,प्राकृतिक गैस, निकेल, बायोगैस, नायलॉन,

• रेल टिकट खरीदना, सस्ता घर देने का प्रयास, टैक्स में मध्यम वर्ग को राहत देने का प्रयास,
• भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा टैक्स मुक्त होगा, छोटी कंपनियों को टैक्स में राहत
• 50 करोड़ तक सालाना टर्न ओवर वाली कंपनियों को 25% टैक्स पहले 30% था, 2 करोड़ तक टर्न ओवर वाली कंपनियों पर 6% टैक्स लगेगा पहले से 2% कम हुआ.
• स्टार्ट अप के लिए टैक्स रियायतें लेने के नियमों में राहत.
• सौर उर्जा बैटरी और पैनल के विनिर्माण में काम आने वाले सोलर टैम्पर्ड ग्लास को सीमा शुल्क से छूट.

यह होगा महंगा

• मोबाइल फोन, पान मसाला, सिगरेट, एलईडी ब्लब, चांदी का सामान, तंबाकू, हार्डवेयर, सिल्वर फॉयल, स्टील का सामान, ड्राय फ्रूट्स, चांदी के गहने, स्मार्टफोन.
• पान मसाला पर उत्पाद शुल्क 6% से बढ़ाकर 9%, गैर प्रसंस्कृत तंबाकू पर-4.2 से बढ़ाकर 8.3% किया गया। तंबाकू वाले पान मसाला पर उत्पाद शुल्क (गुटखा)10% से बढ़ाकर 12%किया गया.
• 65 मिलिमीटर तक लंबाई वाली सिगरेट पर उत्पाद शुल्क 215 रुपये प्रति एक हजार से बढ़ाकर 311 रुपये प्रति हजार किया गया.
• एल्यूमीनियम महंगा, इसके अयस्क और कंसंट्रेट पर आयात शुल्क शून्य से बढ़ाकर 30% किया गया.
• मोबाइल फोन विनिर्माण में काम आने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर सीमा शुल्क शून्य से बढ़ाकर 2% किया गया.

• एलईडी बल्ब विनिर्माण में उपयोग होने वाले कलपुजों पर पांच प्रतिशत की दर से मूल सीमा शुल्क और 6% प्रतिपूर्ति शुल्क लगेगा.

आम बजट 2017-18: आयकर रिटर्न समय पर न भरने पर जुर्माने का प्रावधान

केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा आम बजट 2017-18 में आयकर रिटर्न समय पर न भरने पर जुर्माने का प्रावधान किया है. आगामी वित्त वर्ष में निर्धारित समय पर आयकर रिटर्न न भरने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना आयकर विभाग को ऐडा करना पड़ सकता है.

आम बजट 2017-18 में टैक्स उगाही के सम्बन्ध में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिनसे आगामी वित्त वर्ष में आम लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं. इन नियमों को 01 अप्रैल 2018 से लागू किया जाना है और 2018-19 के एसेसमेंट वर्ष में प्रभावी होंगे.

आयकर कानून में लागू की गई नई धारा (23F) के तहत, रिटर्न भरने की अंतिम तिथि निकलने के बाद के 31 दिन में रिटर्न भरने पर 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

अंतिम तिथि निकलने के 31 दिन से अधिक समय होने पर 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

बजट में मकान के रेंट पर भी टीडीएस का प्रावधान किया-

यदि कोई उपभोक्ता 50,000 रुपये से अधिक किराया देता है, तो उसे 5% टीडीएस भी देना होगा. यह भुगतान आम लोगों को करने होंगे.

उन्हें टैन नंबर लेने की आवश्यकता नहीं होगी.

यह टीडीएस भुगतान उन्हें यह वर्ष भर के किराए पर एक बार काटना होगा.

टैक्स चोरी रोकने के उपाय-

बजट 2017-18 में यह भी निर्धारित किया गया है कोई भी व्यक्ति एक दिन में तीन लाख रुपये ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा.

वाहन, मकान, गहने और दूसरी कीमती चीज़ों के खरीदते समय उपभोक्ता को ऑनलाइन पेमेंट या चेक से भुगतान करना होगा.

इससे कोई भी लेन- देन आयकर विभाग की नजर में रहेगा और टैक्स चोरी की गुंजाइश सीमित हो जाती है.

आयकर कानून में जोड़ी जाने वाली नई धारा (271 डीए) के तहत नियम तोड़ने वाले को बतौर जुर्माना उतने पैसे चुकाने होंगे, जो उन्होंने कैश पेमेंट की तय सीमा से ज्यादा भुगतान किए हैं.

कैश पेमेंट में छूट-

कानून में यह छूट प्रदान की गयी है कि तय सीमा से ज्यादा कैश पेमेंट करने के उपयुक्त कारण बताने पर उन्हें इस जुर्माने से छूट प्रदान की जा सकती है.

जुर्माना तय करने के अधिकार ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स के अधीन होगा.

आम बजट के नए प्रावधानों के अनुसार नकद में कारोबार करने वाले कारोबारियों को मिलने वाली आयकर छूट भी कम हो जाएगी.

कोई कारोबारी जमीन या वित्तीय उपकरण (कैपिटल एक्सपेंडीचर) आदि खरीदने हेतु एक दिन में 10,000 रुपये से ज्यादा का कैश पेमेंट करता है तो उसे अवमूल्यन के नियमों के तहत मिलाने वाली निर्धारित आयकर छूट नहीं मिलेगी.

इसी प्रकार 20,000 रुपये से ज्यादा के कैश पेमेंट करने पर भी टैक्स छूट प्रदान नहीं की जाएगी.

आम बजट 2017-18: जन साधारण के लिए हितकर बजट

आम बजट 2017-18 में सरकार ने गरीब, गांव, किसान और मिडिल क्लास पर सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित किया. बजट 2017-18 में सरकार ने काफी हद तक संतुलित बजट पेश करने की कोशिश की है. बजट 2017-18 में सरकार ने निचले बेंके का ध्यान रख कर 'अमीरों की सरकार' की छवि से निकलने की कोशिश की है.

बजट 2017-18 में अनेक ऐसी घोषणाएं सरकार ने की हैं जिससे यह संदेश जाय कि केंद्र सरकार गरीबों की हितैषी सरकार है. केद्र सरकार का यह बजट नोटबंदी के बाद प्रस्तुत किया गया. नोटबंदी से गरीब, गांव, किसान और मिडिल क्लास को ही सर्वाधिक परेशानी हुई थी.

बजट 2017-18 में सुपर रिच को राहत नहीं-

आम बजट 2017-18 में की गयी घोषणा के अनुसार एक करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 15 प्रतिशत का अधिभार लागू रहेगा. इसके अलावा भी बजट में सुपर रिच को कोई राहत प्रदान नहीं की गयी.

केंद्र सरकार का यह संकेत केवल गरीबों के हितैषी होने का संकेत है.

ग्रामीण क्षेत्र एवं किसान हेतु घोषणाएं-

आम बजट 2017-18 में सरकार ने किसान कर्ज पर ब्याज में कटौती, किसानों को लोन हेतु दस लाख करोड़ रुपये दिए.

इस साल खेती 4.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई गई.

माइक्रो सिंचाई फंड के लिए शुरुआती 5000 करोड़ रुपये का फंड दिया गया.

डेयरी उद्योग हेतु नाबर्ड के माध्यम से 8 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया.

दुग्ध पैदावार हेतु 300 करोड़ का शुरुआती फंड रिलीज भी किया गया.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए नया कानून लाने की घोषणा की.

सरकार ने मार्च 2018 तक सभी गावों में बिजली पहुंचाई जाने की घोषणा की.

देश के एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है.

ग्रामीण क्षेत्र को अधिक डिजिटल बनाने को घोषणा-

देश के प्रत्येक गांव को डिजिटल बनाने हेतु आम बजट 2017-18 में सरकार ने अनेक घोषणाएं की.

आम बजट 2017-18 में ब्रांडबैंड की कनेक्टविटी गांव में बढ़ाने पर जोर दिया गया है.

जिसके तहत 150 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाए जाने की घोषणा की है.

गांवों में महिला शक्ति केंद्र स्थापना हेतु 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

स्वच्छता अभियान को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रामीण इलाकों में अब 60 फीसदी सैनिटेशन प्रबंध किए जाने की घोषणा की गयी.

माध्यम वर्ग को राहत-

बजट में 3 लाख रुपये से ज्यादा के नकद लेन-देन पर रोक लगा दी गई है.

माध्यम वर्ग को राहत देते हुए अब 2.5 लाख से 5 लाख तक की आयकर सीमा 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है.

एक करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 15 प्रतिशत का अधिभार बना रहेगा.

सुपर रिच वर्ग को कोई राहत मोदी सरकार ने नहीं दी है.

मनरेगा में आवंटन बढ़ाया-

मोदी सरकार ने मनरेगा को ग्रामीण विकास का माध्यम मान लिया. इसी के तहत वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2017-18 में मनरेगा का बजट 48 हजार करोड़ रुपए कर दिया.

आम बजट 2017-18 में आवंटित यह धनराशी वर्ष 2016 के बजट से 11 हजार करोड़ रुपए अधिक है.

वर्ष 2009-10 में मनरेगा (तत्कालीन नरेगा) के लिए 52 हज़ार करोड़ रुपये का बजट था.

उसके बाद बजट में भी कटौती की गयी और घटते-घटते 33 हज़ार करोड़ तक आ गया.

वर्ष 2016 के बजट में केंद्र सरकार ने मनरेगा का कोष आवंटन 33,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 36,997 करोड़ रुपये कर दिया.

इतना ही नहीं मनरेगा में अंतरिक्ष विज्ञान की मदद ली जाने की भी घोषणा की गयी है.

मनरेगा के काम को स्पेस टेक्नोलॉजी से जांचा जाएगा.

रियल एस्टेट सेक्टर के प्रोत्साहन हेतु आम बजट 2017-18 में घोषणाएँ

आम बजट 2017-18 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रियल एस्टेट सेक्टर के प्रोत्साहन योजना में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए. बजट में आम जनता हेतु सस्ते आवास को मूलभूत संरचना का हिस्सा बनाने घोषणा की गयी. इससे सस्ते आवास से जुड़ी परियोजनाओं को आधारभूत संरचना से संबद्ध लाभ प्राप्त हो सकेंगे.

कार्पेट क्षेत्र की गणना में बदलाव-

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2017-18 में कार्पेट क्षेत्र की गणना का नया तरीका प्रस्तुत किया. जिसके तहत 30 और 60 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र की बजाय अब 30 और 60 वर्ग मीटर कार्पेट क्षेत्र की गणना का प्रावधान किया गया.

30 वर्ग मीटर की सीमा केवल 4 मेट्रो शहरों की नगरपालिका सीमाओं के मामले में लागू की जाएगी जबकि मेट्रो के बाह्य परिधीय क्षेत्रों सहित देश के शेष भागों के लिए 60 वर्ग मीटर की सीमा ही लागू होगी.

भवन निर्माण की अवधि-

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना के तहत कार्य प्रारंभ होने के बाद भवन निर्माण को पूरा करने की अवधि को वर्तमान तीन साल से बढ़ाकर 5 साल करने का प्रस्ताव किया.

वर्तमान में पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद उपभोक्ताओं द्वारा कब्जा न लिए गए मकान नोशनल किराया आय कर के अध्यधीन हैं.

कराधान उपबंध में परिवर्तन-

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भूमि और इमारत के संबंध में पूंजीगत लाभ कराधान उपबंधों में अनेक परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया.

अचल संपत्ति से लाभ पर विचार करने हेतु धारण अवधि को मौजूदा तीन साल से घटाकर दो साल करने समेत अचल संपत्ति सहित आस्तियों की सभी श्रेणियों हेतु सूचीकरण के लिए आधार वर्ष भी 1अप्रैल 981 से बदलकर 1 अप्रैल 2001 किए जाने का प्रस्ताव किया गया.

वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुसार इस कदम से पूंजीगत लाभ पर देयता घटेगी साथ ही परिसंपत्तियों की गतिशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा.

सरकार वित्तीय लिखितों के उस समूह का विस्तार करने की योजना बना रही है जिसमें कर की अदायगी किए बिना पूंजीगत लाभों का निवेश किया जा सके.

संपत्ति के विकास हेतु हस्ताक्षरित समझौता हेतु परियोजना पूर्ण होने वाले वर्ष में पूंजीगत लाभ कर अदा करने की बाध्यता भी उत्पन्न हो जाएगी.

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बिना भूमि पूलिंग व्यवस्था द्वारा विकसित की जा रही आंध्र प्रदेश की नई राजधानी हेतु वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 02 जून 2014 तक भू-मालिकों को पूंजी लाभ कर से छूट देने का प्रस्ताव किया.

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सस्ती आवास योजना के प्रवर्तकों हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में घोषित लाभ-संबद्ध आयकर छूट योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के प्रयास आम बजट 2017-18 में किए हैं.

राष्ट्रीय आवासीय बैंक-

राष्ट्रीय आवासीय बैंक वर्ष 2017-18 में 20 हजार करोड़ रु. के व्यक्तिगत आवासीय ऋणों का पुर्नवित्त प्रदान करेगा.

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुसार विमुद्रीकरण से बैंको में नकदी का प्रवाह बढ़ा है, जिसके चलते बैंको ने आवासीय ऋण समेत अन्य ऋणों की ऋण दरें पहले ही कम कर दी हैं. प्रधानमंत्री पहले ही आवासीय ऋण पर ब्याज में रियायत की घोषणा कर चुके हैं.

आम बजट 2017-18: स्वास्थ्य एवं लोक कल्याण

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम जनता के स्वास्थ्य एवं लोक कल्याण हेतु गरीबों के लिए मकान, एमएसएमई के लिए राहतें, गर्भवती महिलाओं हेतु अनेक योजनाओं की घोषणा की है.

मुख्य तथ्य-

रूरल डेवलपमेंट में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना

ग्रामीण युवाओं हेतु अत्यधिक रोजगार का श्रजन करना

गरीबों हेतु आवास उपलब्ध कराना

समाज के हर तबके को समुचित सुरक्षा प्रदान करना

अफोर्डेबल हाउसिंग हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बडे फंड का प्रावधान किया गया है.

लोक कल्याण हेतु मुख्य घोषणाएं-

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पांच लाख तालाब और बनाए जाने की घोषणा की. महिलाओं की मनरेगा में 55% भागीदारी है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मनरेगा को 38500 करोड़ का फंड प्रदान किया है.

2017-18 में मनरेगा हेतु 48 हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है.

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2016-17 में प्रति दिन 133 किलोमीटर सड़कें बनाई गई. इस लक्ष्य को बढ़ाने की घोषणा की गयी.

वर्ष 2019 तक 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य आम बजट 2017-18 में रखा गया है.

युवाओं के हित में घोषणाएं-

युवाओं के हित में अच्छी क्वालिटी के इंस्टीट्यूट्स बनाए जाने की घोषणा की गयी. इसके लिए सरकार अपनी देख रेख में आधार भूत ढांचा तैयार करेगी.

इसमें 350 ऑनलाइन फैसिलिटीज होंगी.

युवा डिस्कशन में हिस्सा ले सकेंगे और पढ़ाई कर सकेंगे इसके लिए नए प्रक्रिया आरम्भ की जाएंगी.

उच्च शिक्षा (हायर एजुकेशन) हेतु नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी. इस एजेंसी के धरातल पर आने के बाद सभी बड़ी एंट्रेंस एग्जाम्स कराने की जिम्मेवारी एजेंसी को दी जाएगी.

यह एजेंसी सीबीएसई जैसी संस्थाएं एकेडमिक्स संस्थाओं पर फोकस कर पाएंगी.

वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्किल अवेयरनेस प्रोग्राम पर 4000 करोड़ रूपए खर्च करने की घोषणा की गयी.

3.5 करोड़ युवाओं को बाजार के अनुरूप उन्हें प्रशिक्षम प्रदान किया जाएगा.

लेदर और फुटवेयर सेक्टर हेतु इम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च करने की घोषणा की गयी.

5 स्पेशल टूरिज्म सेक्टर बनाए जाने की घोषणा की गयी.

गरीबों, बुजुर्गों हेतु कल्याणकारी घोषणाएं-

गरीबों हेतु एक्शन प्लान बनाने की घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 में की गयी.

अनेक बड़ी बीमारियों को हटाने व कुछ के समूल उन्मूलन का प्रावधान बजट में किया गया है.

सीनियर सिटीजन हेतु आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड बनाए जाने की घोषणा की गयी, जिसमे सीनियर सिटीजन की सेहत का रिकॉर्ड रखा जाएगा.

महिला और बच्चों हेतु कल्याणकारी घोषणाएं-

वुमन और चाइल्ड वेलफेयर के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान आम बजट 2017-18 में किया गया है.

गर्ल चाइल्ड के साथ ही सबका साथ, सबका विकास मिशन की शुरुआत होती है.

मनरेगा को यूपीए सरकार के कार्य काल में आरम्भ किया गया था. एनडीए सरकार बना जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आलोचना की थी. उन्होंने इसे एनडीए सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस की नाकामी के प्रतीक के तौर पर जारी रखने की बात कही थी.

दलितों के कल्याण के लिए 52,393 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. एससी/एसटी और अल्पसंख्कों का फंड बढ़ा.

वित्त मंत्री ने आम बजट 2017-18 में राजनीतिक पार्टियों के नगद चंदा पर रोक लगाई

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 में राजनीतिक पार्टियों द्वारा लिए जाने वाले अघोषित चंदे (धन संग्रह) पर रोक लगाने का प्रावधान किया. बजट में किए गए नए प्रावधान के अनुसार राजनीतिक पार्टिया एक व्यकित से अधिकतम दो हजार रुपए का नगद चंदा प्राप्त कर सकती है.

राजनीतिक दलों की वित्त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने राजनीतिक दलों को चंदा लेने में सुविधा हेतु बैंक चुनावी बांड जारी करने का प्रस्ताव किया.

इस मामले में राजनीतिक पार्टियों की वित्त पोषण प्रणाली में सुधार लाने हेतु राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जल्द ही अधिकृत बैंकों से चुनावी बांड जारी किए जाएंगे.

बजट भाषण में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने राजनीतिक पार्टियों हेतु चैक या डिजिटल माध्यम से चंदा प्राप्त करने का प्रावधान किया किया है.

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को निर्धारित समय सीमा के भीतर आय कर रिटर्न भरने का सुझाव प्रस्तुत किया.

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली के अनुसार सरकार जल्द ही इस संबंध में एक योजना का ढांचा तैयार करेगी और चुनावी बांड जारी करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है.

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने बजट में चंदा देने वाले केवल चैक और डिजिटल भुगतान कर मान्यता प्राप्त बैंकों से बांड खरीदने का प्रावधान किया है.

निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्धारित बैंक खाते में ये बांड परिशोध्य हैं.

आम बजट 2017-18: कृषि क्षेत्र

केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2017-18 का आम बजट (Union Budget) 01 फरवरी 2017 को प्रस्तुत किया. वित्त मंत्री ने किसानों के लोन के लिए दस लाख रूपए का फंड न्धारित किया है.

केन्द्रीय वित्तमंत्री का उद्देश्य उच्च वृद्धिदर से समावेशी और टिकाऊ विकास हासिल करना है. वित्तमंत्री ने इस बजट में महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में आवंटन बढ़ाने और निवेश एवं बजट हेतु छूट देने तथा राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद व्यक्त की गयी. .

मुख्य तथ्य-

ग्रामीण इलाकों में अब 60 फीसदी सैनिटेशन प्रबंध

मार्च 2018 तक सभी गांव में बिजली

मनरेगा में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 5 लाख तालाब का लक्ष्य रखा गया है.

एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाने का लक्ष्य है.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए नया कानून.

मनरेगा में अंतरिक्ष विज्ञान की मदद ली जाएगी, काम स्पेस टेक्नोलॉजी से जांचा जाएगा.

माइक्रो सिंचाई फंड हेतु शुरुआती 5000 करोड़ रुपये का फंड.

श्वेत क्रान्ति

डेयरी उद्योग के लिए नाबर्ड के जरिये 8 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम. दुग्ध पैदावार हेतु 300 करोड़ का शुरुआती फंड.

आम बजट 2017-18: प्रधानमंत्री ने बजट को प्रत्येक वर्ग हेतु उपयोगी बताया

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लोक सभा में बजट पेश करने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसकी सराहना की. पीएम के शब्दों में यह एक साहसिक बजट है.

आम बजट 2017-18 में दाल से लेकर डाटा तक पर ध्यान केन्द्रित किया गया है.

प्रधानमंत्री के अनुसार बजट 2017-18 में प्रत्येक वर्ग हेतु कुछ ना कुछ उपयोगी है. प्रधान मंत्री के अनुसार बजट देशवासियों के सपने साकार करेगा और देश में विश्वास का माहौल पैदा होगा.

आम बजट 2017-18 अर्थतंत्र को प्रोत्साहित करने वाला होगा. बजट में हाईवे बनाने का प्रावधान किया गया. रेलवे के आधुनिकीकरण से लेकर शिक्षा-स्वास्थ्य, उद्योग-उद्यमी, टैक्स रियायत भी इस बजट में पूर्ण रूपेण प्रदान की गयी हैं.

रेल और आम बजट के विलय से लाभ-

अब तक के इतिहास में 1924 के बाद रेल बजट पहली बार आम बजट के साथ प्रस्तुत किया गया.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि रेल बजट को आम बजट में विलय करने से योजना तैत्यार करने में मदद मिलेगी.

इससे भारतीय रेलवे और अधिक बेहतर तरीके से देश के विकास में योगदान दे कर पाएगा.

कृषि, व अन्य संसाधनों हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा.

रेल सुरक्षा फंड सिक्युरिटी के लिहाज से बजट अधिक महतेपूर्ण है.

योजनाओं के बजट में भी काफी बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है.

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य देश की आर्थिक स्थिति को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगा.

बजट में सबसे ज्यादा जोर किसान, दलित, पीड़ित, शोषित पर है.

आम बजट 2017-18 के प्रस्ताव ग्रामीण जीवन में उत्साह जनक बदलाव लाएंगे.

कौशल विकास-

आम बजट 2017-18 में इलेक्ट्रॉनिक और टैक्सटाइल क्षेत्र को बड़ी राशि प्रदान की गई है. कौशल विकास मुख्य रूप से युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है. कौशल विकास के प्रोत्साहन हेतु बजट में समुचित धनराशी का प्रावधान किया गया है.

रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन (रीयल स्टेट) की बड़ी भूमिका है. रीयल स्टेट को भी बजट में प्रोत्साहित किया गया.

बजट के प्रावधानों से टैक्स चोरी रुकेगी और काले धन का प्रवाह रुकेगा

वित्त मंत्री ने कर प्रणाली में जो सुधार किए हैं, उससे मध्यम वर्ग को राहत और रोजगार के अवसर मिलेंगे.

भेदभाव खत्म होगा और निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा.

कर (टैक्स) रियायत-

आम बजट 2017-18 में टैक्स में भी छूट प्रदान की गई है. इसमें 10% टैक्स से 5% कटौती की गई है.

नौकरी के अवसर देश में छोटे-मध्यम उद्योग से आते हैं. छोटे-मध्यम उद्योग को आम बजट 2017-18 में भरपूर रियायत प्रदान की गयी है.

सरकार ने छोटे-मध्यम उद्योग के कर दायरे को बढ़ाया और टैक्स को भी कम किया. इससे छोटे-मध्यम उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतियोगी बनने में मदद करेगा.

इस बात का ध्यान रखा गया है कि लोगों की खरीदने की ताकत बढ़े. यानि आम जनता की बाजार खर्च को बढ़ने के प्रयास भी बजट में किए गए हैं.

प्रधान मंत्री ने राजनीतिक चंदे को लेकर राजनीतिक दल पर होने सवालों का जिक्र किया और कहा कि इस पर भी बजट में ध्यान केन्द्रित किया गया है.

आम बजट 2017-18: भारतीय रेल

01 फरवरी 2017 को प्रस्तुत आम बजट 2017-18 (Union Budget) में ही रेल बजट (Rail Budget) को भी शामिल किया गया है. केंद्र सरकार के सुधार एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली वर्ष 2017 में रेल बजट को अलग से पेश की जाने वाली 92 वर्ष से चल रही परंपरा को खत्म किया. यह परंपरा वर्ष 1924 से जारी थी. इसके पीछे सरकार का मानना है कि इससे रेलवे को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा.

केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत आम बजट 2017-18 में रेलवे को 1,31,000 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना का लक्ष्य रखा गया.

आम बजट 2017-18: भारतीय रेलवे के मुख्य तथ्य-

- यात्रियों की सुरक्षा हेतु रेल संरक्षा कोष की स्थापना कोष की
- रेल सुरक्षा के लिए एक लाख करोड़ का फंड
- पर्यटन और तीर्थ हेतु विशेष ट्रेन
- आईआरसीटीसी से टिकिट बुकिंग पर सेवा कर की समाप्ति
- 500 स्टेशनों को विकलांगो की सुबिधा के अनुसार उप्ग्रेड किया जाएगा
- नई मेट्रो रेल नीति बनाए जाने की घोषणा

आम बजट 2017-18: एक पंक्ति में

- वित्त मंत्री ने किसानों के लोन के लिए जितने लाख रूपए करोड़ का फंड निरधारित किया है: दस लाख रूपए करोड़

- वित्त मंत्री के द्वारा वित्तीय वर्ष में खेती जितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद व्यक्त की गयी: 4.1 प्रतिशत
- वित्त मंत्री द्वारा मनरेगा में वर्तमान वित्तीय वर्ष में जितने लाख तालाब का लक्ष्य रखा गया है: 5 लाख
- केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत आम बजट 2017-18 में रेलवे को जितने करोड़ रुपए की वार्षिक योजना का लक्ष्य रखा गया: 1, 31,000 करोड़ रुपए
- केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली वर्ष 2017 में रेल बजट को अलग से पेश की जाने वाली जितने वर्ष से चल रही परंपरा को खत्म किया: 92 वर्ष
- भाजपा की नेतृत्व वाली वर्तमान ‘एनडीए’ सरकार का यह आम बजट है: तीसरा
- वित्त मंत्री के द्वारा छोटी कम्पनियों का टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर जितने प्रतिशत किया गया: 25 प्रतिशत
- वित्त मंत्री द्वारा जितने लाख से अधिक कैश ट्रांज़ेकशन पर रोक लगाई जाएगी: तीन लाख से अधिक
- वित्त मंत्री द्वारा महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से जितने करोड़ रुपये के खर्च का विशेष प्रावधान रखा गया: 500 करोड़ रुपये
- वर्ष 2017-18 में वित्त मंत्री ने मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा में जितने सीटें बढाई जाने की घोषणा की: 5000 सीटें
- वर्ष 2017-18 में वित्त मंत्री ने सरकारी घाटा 3.2% से कम कर जितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है: 3.0%
- वर्ष 2017-18 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने माइक्रो सिंचाई के लिए जितने हज़ार करोड़ रुपये निर्धारित किए: 5 हज़ार करोड़ रुपये
- बंदरगाहों से गांवों तक सुगम आवगमन हेतु जितने किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण करने की घोषणा की गई: 2,000 किलोमीटर

- आम बजट 2017-18 में खेल मंत्रालय को जितने करोड़ रुपये मिले: 350 करोड़ रुपये
- वित्त मंत्री द्वारा खेल मंत्रालय को कुल 1943 करोड़ रुपये आवंटित किये गये जबकि पिछले वर्ष यह राशि जितने करोड़ रुपये थी: 1592 करोड़ रुपये
- बजट 2017-18 के अनुसार राष्ट्रीय खेल महासंघों को दी जाने वाली सहायता 185 करोड़ रुपये से बढ़ाकर जितने करोड़ रुपये कर दी गई है: 302 करोड़ रुपये
- बजट 2017-18 के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण को 481 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं जबकि पिछले साल यह राशि जितने करोड़ रुपये थी: 416 करोड़ रुपये
- जिस राज्य सरकार ने अनुबंधित और आउटसोर्स वाले कर्मचारियों के वेतन और मानदेय 14.29 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है: हरियाणा सरकार
- बजट 2017-18 के अनुसार राष्ट्रीय खेल विकास कोष का आवंटन पांच करोड़ रुपये से घटाकर जितने करोड़ रुपये कर दिया गया है: दो करोड़ रुपये
- वित्त मंत्री ने बजट 2017-18 में खेलो इंडिया योजना के लिये कुल आवंटन जितने करोड़ रुपये से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपये कर दिया गया है: 140 करोड़ रुपये
- वित्त मंत्री ने बजट 2017-18 में राष्ट्रीय खेल विकास कोष का आवंटन जितने करोड़ रुपये से घटाकर दो करोड़ रुपये कर दिया गया है: पांच करोड़ रुपये
- आम बजट 2017-18 में सरकार ने डेयरी उद्योग हेतु नाबर्ड के माध्यम से जितने हजार करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया: 8 हजार करोड़ रुपये
- आम बजट 2017-18 में सरकार ने स्वच्छता अभियान को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रामीण इलाकों में अब जितने फीसदी सैनिटेशन प्रबंध किए जाने की घोषणा की: 60 फीसदी
- वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट वर्ष 2017-18 में मनरेगा का बजट जितने हजार करोड़ रुपए कर दिया: 48 हजार करोड़ रुपए
- आम बजट 2017-18 में आवंटित मनरेगा धनराशी वर्ष 2016 के बजट से जितने हजार करोड़ रुपए अधिक है: 11 हजार करोड़ रुपए

- आम बजट 2017-18 में की गयी घोषणा के अनुसार एक करोड़ रुपये से अधिक की आय पर जितने प्रतिशत का अधिभार लागू रहेगा: 15 प्रतिशत

आम बजट 2017-18: प्रश्नावली (क्विज)

1. आम बजट 2017-18 में किसानों के लोन के लिए कुल कितने लाख रूपए करोड़ का फंड निर्धारित किया गया है?

   a. दस लाख रूपए

   b. आठ लाख रूपए

   c. सात लाख रूपए

   d. चार लाख रूपए

2. वित्त मंत्री के द्वारा वित्तीय वर्ष में खेती कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद व्यक्त की गयी?

   a. 3.1 प्रतिशत

   b. 4.1 प्रतिशत

   c. 6.1 प्रतिशत

   d. 8.5 प्रतिशत

3. वित्त मंत्री द्वारा मनरेगा में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने लाख तालाब का लक्ष्य रखा गया है?

   a. 8 लाख

   b. 10 लाख

   c. 5 लाख

d. 2 लाख

4. केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत आम बजट 2017-18 में रेलवे को कितने करोड़ रुपए की वार्षिक योजना का लक्ष्य रखा गया?

a. 2, 31,000 करोड़ रुपए

b. 4, 31,000 करोड़ रुपए

c. 5, 31,000 करोड़ रुपए

d. 1, 31,000 करोड़ रुपए

5. केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली वर्ष 2017 में रेल बजट को अलग से पेश की जाने वाली कितने वर्ष से चल रही परंपरा को खत्म किया?

a. 92 वर्ष

b. 90 वर्ष

c. 99 वर्ष

d. 82 वर्ष

6. भाजपा की नेतृत्व वाली वर्तमान 'एनडीए' सरकार का यह कौन सा आम बजट है?

a. चौथा

b. पहला

c. तीसरा

d. इनमें से कोई नहीं

7. वित्त मंत्री के द्वारा छोटी कम्पनियों का टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर कितने प्रतिशत किया गया?

a. 20 प्रतिशत

b. 25 प्रतिशत

c. 29 प्रतिशत

d. 5 प्रतिशत

8. वित्त मंत्री द्वारा कितने लाख से अधिक कैश ट्रांज़ेकशन पर रोक लगाई जाएगी?

a. तीन लाख से अधिक

b. चार लाख से अधिक

c. दो लाख से अधिक

d. आठ लाख से अधिक

9. वित्त मंत्री द्वारा महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से कितने करोड़ रुपये के खर्च का विशेष प्रावधान रखा गया?

a. 400 करोड़ रुपये

b. 300 करोड़ रुपये

c. 200 करोड़ रुपये

d. 500 करोड़ रुपये

10. वर्ष 2017-18 में वित्त मंत्री ने मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा में कितने सीटें बढाई जाने की घोषणा की?

a. 3000 सीटें

b. 4000 सीटें

c. 5000 सीटें

d. 8000 सीटें

11. वर्ष 2017-18 में वित्त मंत्री ने सरकारी घाटा 3.2% से कम कर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है?

a. 5.0%

b. 8.0%

c. 9.0%

d. 3.0%

12. वर्ष 2017-18 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने माइक्रो सिंचाई के लिए कितने हज़ार करोड़ रुपये निर्धारित किए?

a. 7 हज़ार करोड़ रुपये

b. 5 हज़ार करोड़ रुपये

c. 10 हज़ार करोड़ रुपये

d. 15 हज़ार करोड़ रुपये

13. बंदरगाहों से गांवों तक सुगम आवगमन हेतु कितने किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण करने की घोषणा की गई?

a. 5,000 किलोमीटर

b. 8,000 किलोमीटर

c. 2,000 किलोमीटर

d. 4,000 किलोमीटर

14. आम बजट 2017-18 में खेल मंत्रालय को कितने करोड़ रुपये मिले?

a. 250 करोड़ रुपये

b. 150 करोड़ रुपये

c. 950 करोड़ रुपये

d. 350 करोड़ रुपये

15. वित्त मंत्री द्वारा खेल मंत्रालय को कुल 1943 करोड़ रुपये आवंटित किये गये जबकि पिछले वर्ष यह राशि कितने करोड़ रुपये थी?

a. 1592 करोड़ रुपये

b. 1692 करोड़ रुपये

c. 1992 करोड़ रुपये

d. 1792 करोड़ रुपये

16. बजट 2017-18 के अनुसार राष्ट्रीय खेल महासंघों को दी जाने वाली सहायता 185 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपये कर दी गई है?

a. 802 करोड़ रुपये

b. 502 करोड़ रुपये

c. 302 करोड़ रुपये

d. 902 करोड़ रुपये

17. बजट 2017-18 के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण को 481 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं जबकि पिछले साल यह राशि कितने करोड़ रुपये थी?

a. 316 करोड़ रुपये

b. 416 करोड़ रुपये

c. 716 करोड़ रुपये

d. 816 करोड़ रुपये

18. किस राज्य सरकार ने अनुबंधित और आउटसोर्स वाले कर्मचारियों के वेतन और मानदेय 14.29 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है?

a. हरियाणा सरकार

b. बिहार सरकार

c. पंजाब सरकार

d. इनमें से कोई नहीं

19. बजट 2017-18 के अनुसार राष्ट्रीय खेल विकास कोष का आवंटन पांच करोड़ रुपये से घटाकर कितने करोड़ रुपये कर दिया गया है?

a. तीन करोड़ रुपये

b. चार करोड़ रुपये

c. सात करोड़ रुपये

d. दो करोड़ रुपये

20. वित्त मंत्री ने बजट 2017-18 में खेलो इंडिया योजना के लिये कुल आवंटन कितने करोड़ रुपये से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपये कर दिया गया है?

a. 140 करोड़ रुपये

b. 140 करोड़ रुपये

c. 140 करोड़ रुपये

d. 140 करोड़ रुपये

21. वित्त मंत्री ने बजट 2017-18 में राष्ट्रीय खेल विकास कोष का आवंटन कितने करोड़ रुपये से घटाकर दो करोड़ रुपये कर दिया गया है?

a. चार करोड़ रुपये

b. तीन करोड़ रुपये

c. आठ करोड़ रुपये

d. पांच करोड़ रुपये

22. आम बजट 2017-18 में सरकार ने डेयरी उद्योग हेतु नाबर्ड के माध्यम से कितने हजार करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया?

a. 8हजार करोड़ रुपये

b. 5 हजार करोड़ रुपये

c. 4 हजार करोड़ रुपये

d. 3 हजार करोड़ रुपये

23. आम बजट 2017-18 में सरकार ने स्वच्छता अभियान को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रामीण इलाकों में अब कितने फीसदी सैनिटेशन प्रबंध किए जाने की घोषणा की?

a. 50 फीसदी

b. 60 फीसदी

c. 70 फीसदी

d. 90 फीसदी

24. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट वर्ष 2017-18 में मनरेगा का बजट कितने हजार करोड़ रुपए कर दिया?

a. 58 हजार करोड़ रुपए

b. 68 हजार करोड़ रुपए

c. 48 हजार करोड़ रुपए

d. 75 हजार करोड़ रुपए

25. आम बजट 2017-18 में आवंटित मनरेगा धनराशी वर्ष 2016 के बजट से कितने हजार करोड़ रुपए अधिक है?

a. 10 हजार करोड़ रुपए

b. 12 हजार करोड़ रुपए

c. 8 हजार करोड़ रुपए

d. 11 हजार करोड़ रुपए

26. आम बजट 2017-18 में की गयी घोषणा के अनुसार एक करोड़ रुपये से अधिक की आय पर कितने प्रतिशत का अधिभार लागू रहेगा?

a. 15 प्रतिशत

b. 20 प्रतिशत

c. 25 प्रतिशत

d. 30 प्रतिशत

उत्तर:

1.a. दस लाख रूपए करोड़

2.b. 4.1 प्रतिशत

3.c. 5 लाख

4.d. 1, 31,000 करोड़ रुपए

5.a. 92 वर्ष

6.c. तीसरा

7.b. 25 प्रतिशत

8.a. तीन लाख से अधिक

9.d. 500 करोड़ रुपये

10.c. 5000 सीटें

11.d. 3.0%

12.b. 5 हज़ार करोड़ रुपये

13.c. 2,000 किलोमीटर

14.d. 350 करोड़ रुपये

15.a. 1592 करोड़ रुपये

16.c. 302 करोड़ रुपये

17.b. 416 करोड़ रुपये

18.a. हरियाणा सरकार

19.d. दो करोड़ रुपये

20.b. 140 करोड़ रुपये

21.d. पांच करोड़ रुपये

22.a. 8 हजार करोड़ रुपये

23.b. 60 फीसदी

24.c. 48 हजार करोड़ रुपए

25.d. 11 हजार करोड़ रुपए

26.a. 15 प्रतिशत

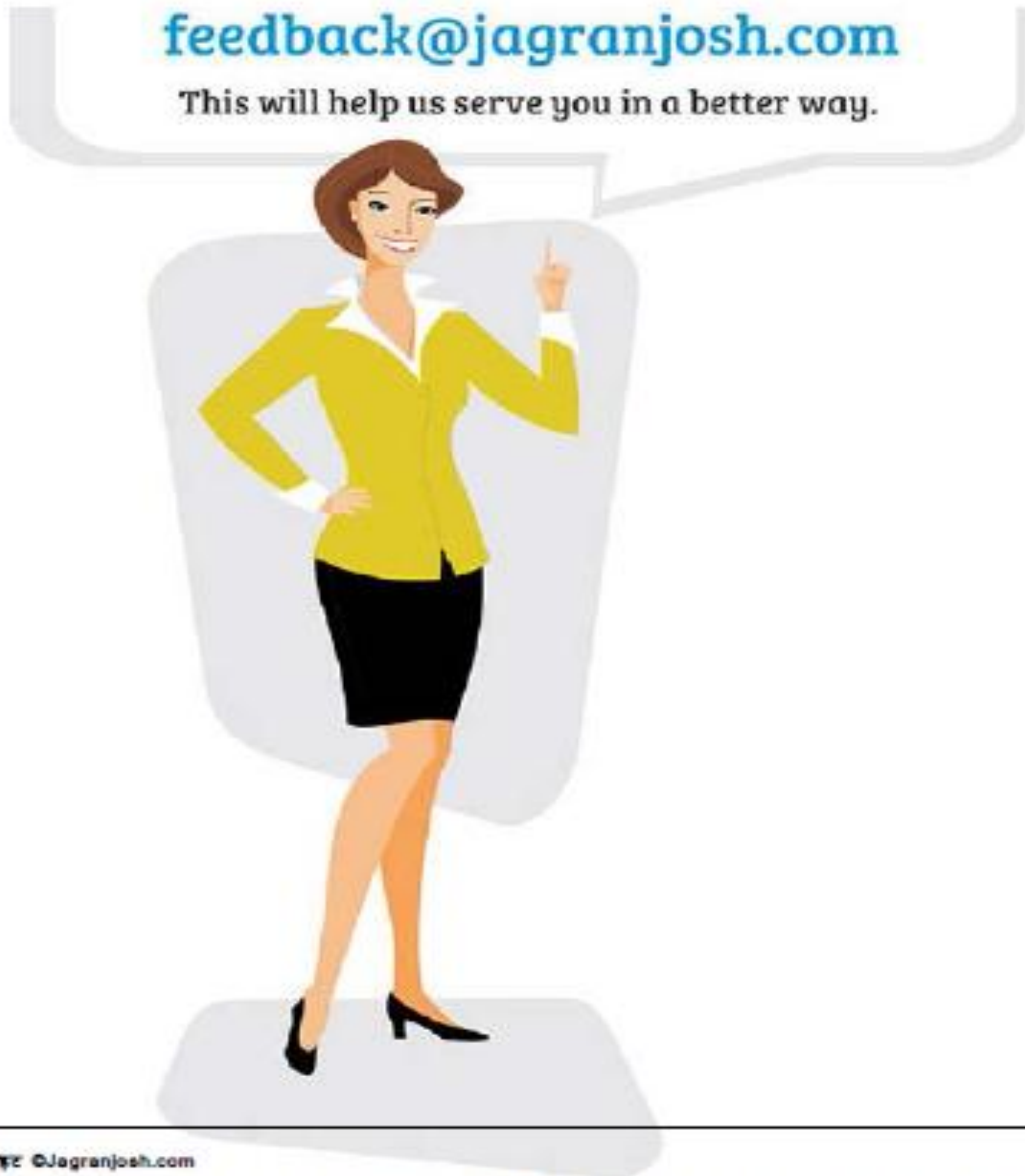

कॉपीराइट ©Jagranjosh.com

सर्वाधिकार सुरक्षित. इस ई-बुक का कोई भी खण्ड या संपूर्ण ई-बुक को किसी भी रूप में (इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या किसी भी अन्य माध्यम से) प्रतिलिपिकरण, पुनःप्रकाशन, पुनःप्राप्ति योग्य भण्डारण और किसी भी घटना, परिस्थिति और प्रणाली में उल्लेख तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि कॉपीराइट प्राप्तकर्ता से लिखित अनुमति न प्राप्त हो. यदि उपरोक्त में से कोई भी या संबंधित गतिविधि का कोई भी प्रमाण मिलता है या सूचित किया जाता है तो कड़ी दण्डात्मक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

www.jagranjosh.com